जिला–पटना

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, बाढ़

उपस्थिति – श्री राजकुमार चौधरी

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, बाढ़

बाढ़, 19 वीं मार्च 2026 ई0

सत्रवाद संख्या 290/2023

सरजहॉन खातुन (सूचिका) ——————————————————————अभियोजन

बनाम्

1. मो0 इरफान पिता – मो0 इबरार अहमद उम्र लगभग 25 वर्ष

निवासी ग्राम– अहिजन, थाना – अथमलगोला, जिला– पटना————————————अभियुक्त।

आरोप अंतर्गत धारा :– 364/34, 120B, 302/34, 201/34 भा0द0वि0

अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री नागेन्द्र सिंह चौहान

बिहार सरकार की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक – श्री रामबालक प्रसाद

:::::::निर्णय:::::::

1. उपरोक्त अभियुक्त मो0 इरफान के विरूद्ध धारा 364/34, 120B, 302/34, 201/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप गठित कर आरोप का सारांश सुनाया गया, जिसे वे सुनकर घटना से इंकार किये और विचारण का दावा किये।

2. अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि इस वाद की सूचिका सरजहॉन खातुन हैं, जो अपना लिखित आवेदन थानाध्यक्ष अथमलगोला को दी है, जिसमें इनका कथन है कि दिनांक 26.12. 2018 को समय करीब 02 बजे दिन में सूचिका का पुत्र मो0 जसीम बख्खों को गांव के ही मो0 सद्दाम, मो0 लल्लू,, मो0 इरफान, एवं अनिल शर्मा बुलाकर ले गया, जो आज तक घर वापस नहीं आया। जब सूचिका उनलोगों के घर जाकर पूछी तो उनके द्वारा बताया गया कि इनके पुत्र मो0 जसीम बख्खों को बख्तियारपुर हाट पर छोड़ दिया था। सूचिका के द्वारा काफी पूछताछ करने पर भी उनलोगों के द्वारा इनके पुत्र के पता के बारे में नहीं बतलाया। अनिल शर्मा के पिता मोहन शर्मा बराबर इनके घर पर आकर पूर्व में भी धमकी देता था कि तुम्हारे बेटा को मरवा देंगे। सूचिका को पूर्ण यकीन है कि चारो लड़का एवं मोहन शर्मा बहला–फुसलाकर इनके पुत्र को कहीं रखे हुये है या हत्या कर दिया है।

3. सूचिका के लिखित आवेदन के आधार पर अथमलगोला थाना काण्ड संख्या– 338/2018, दिनांक 27.12.2018 को धारा 364/34 भा0द0वि0 में कुल 05 अभियुक्तगण 01. मो0 सददाम, 02. मो0 लल्लू, 03. मो0 ईरफान, 04. अनिल शर्मा एवं 05. मोहन शर्मा के विरूद्ध दर्ज किया गया तथा अनुसंधान के बाद अनुसंधान पूर्ण करते हुये आरोप पत्र संख्या 48/2023 दिनांक 05.02.2023 अभियुक्त मो0 इरफान के विरूद्ध धारा 364, 324, 302, 436, 201, 120B, 34 भा0द0वि0 में घटना को सत्य पाकर समर्पित किया गया तथा विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, बाढ़ के द्वारा उपरोक्त धारा के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध संज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्त के वाद को विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, बाढ़ के द्वारा दौरा सुपुर्द कर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना के यहां भेजा गया तथा श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना के द्वारा इस वाद को विचारण हेतु इस न्यायालय में दिनांक 06.03.2023 को भेजा गया है, जिसका विचारण किया गया। यह एक पूरक वाद में है, इस वाद में मात्र एक अभियुक्त मो0 ईरफान का विचारण किया गया है।

5. अभियोजन की ओर से इस वाद में कुल 04 साक्षियों में से साक्षी संख्या– 01 मो0 हैदर, साक्षी संख्या –02 मो0 साहेब, साक्षी संख्या– 03 कैसर, एवं साक्षी संख्या– 04 सुचिका सरजहॉन खातुन को प्रस्तुत किया गया है।

6. अभियुक्त का धारा 313 द0प्र0सं0 के अंतर्गत बयान लिया गया है, जिसमें वे घटना से इंकार किये और अपने को निर्दोष बतलाये तथा कहे कि ये निर्दोष हैं।

7. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को संदेह के परे सिद्ध करने में सफल हुए हैं अथवा नहीं?

मंतव्य

8. अभियोजन की ओर से इस वाद में कुल 04 साक्षियों में से साक्षी संख्या– 01 मो0 हैदर, साक्षी संख्या –02 मो0 साहेब, साक्षी संख्या– 03 कैसर, एवं साक्षी संख्या– 04 सुचिका सरजहॉन खातुन का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष कराया है।

अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई प्रदर्श अंकित नहीं कराया है।

9. बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षी संख्या 04 सूचिका सरजहॉन खातुन है, जिनके लिखित आवेदन के आधार पर यह कांड दर्ज किया गया है, जो इस कांड की सूचिका है। ये अपने साक्ष्य में कही है कि मो0 जसीम बख्खों इनका बेटा था, जो करीब 7 साल पहले अकेले बकरी खरीदने के लिये बख्तियारपुर हाट गया था, लेकिन इनका बेटा आज तक घर वापस नहीं आया। ये अथमलगोला थाना में केश की थी और सादा कागज पर टिप्पा दी थी, उस पर क्या लिखा गया, इन्हें जानकारी नहीं है। साक्षी पुलिस के समक्ष पुनः बयान देने की बात से इंकार की है। साक्षी को अभियोजन के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा पुलिस के समक्ष दिये गये बयान की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया, जिसे सुनकर साक्षी इंकार की है। साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण

में कही है कि अभियुक्त मो0 ईरफान को ग्रामीण होने के नाते पहचान की है, इसका इस घटना में कोई हाथ नहीं है। ये राजी खुशी से एवं बिना दबाव के साक्ष्य देने के बारे में बताये है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या– 01 मो0 हैदर हैं, इन्होंने अपने बयान में कहा है कि मो0 जसीम इनका भाई था, इनके भाई के साथ घटना हुये करीब 6 साल हो गया है। वह बकरी बेचने के लिए किसी के साथ नहीं गया था। साक्षी पुलिस के समक्ष बयान देने की बात से इंकार किये है। साक्षी को अभियोजन के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा पुलिस के समक्ष दिये गये बयान की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया, जिसे सुनकर साक्षी ने इंकार किया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि स्वेच्छा से गवाही दिया है।

12. अभियोजन साक्षी संख्या– 02 मो0 साहेब हैं, इन्होंने अपने बयान में कहा है कि मृतक मो0 जसीम इनका भाई था। इनके भाई के साथ घटना हुये करीब 4–5 साल हो गया है। वह बकरी बेचने के लिये गया था और वहीं से लापता हो गया। इनका भाई बकरी बेचने के लिये अकेले गया था। इन्हें भाई के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी पुलिस के समक्ष बयान देने की बात से इंकार किया है। साक्षी को अभियोजन के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा पुलिस के समक्ष दिये गये बयान की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया, जिसे सुनकर साक्षी इंकार किया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि स्वेच्छा से गवाही दिया है तथा अभियुक्त का पहचान ग्रामीण होने के नाते किये है।

13. अभियोजन साक्षी संख्या– 03 कैसर हैं, इन्होंने अपने बयान में कहा है कि इनके भाई मो0 जसीम की हत्या हुये करीब 5 साल हो गया है। इनका भाई बकरी पठरू खरीदने के लिये अकेले बख्तियारपुर तरफ गया था। इनके भाई की हत्या किसने किया, इन्हें जानकारी नहीं है। इन्होंने हत्या के संबंध में जानने का प्रयास किया परन्तु इन्हें कोई जानकारी नहीं हुआ। साक्षी पुलिस के समक्ष बयान देने की बात से इंकार किया है। साक्षी को अभियोजन के अनुरोध पर पक्षद्रोही घ ोषित किया गया तथा पुलिस के समक्ष दिये गये बयान की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया, जिसे सुनकर साक्षी इंकार किया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि स्वेच्छा से गवाही दिया है तथा अभियुक्त को ग्रामीण होने के नाते पहचान किये है।

14. इस तरह उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य के विवेचन के बाद मैं पाता हूँ कि अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों में साक्षी संख्या 04 सूचिका सरजहॉन खातुन है, जिसके लिखित आवेदन के आधार पर यह मुकदमा कायम हुआ है, सूचिका अपने बयान में कही है कि ये केश करने के लिये अथमलगोला थाना गयी थी और वहां पर सादा कागज पर टिप्पा दी थी, उस पर क्या लिखा गया, ये नहीं पढ़ी। मो0 जसीम बख्खों इनका बेटा था। जो अकेले करीब 7 साल पहले बकरी खरीदने के लिये बख्तियारपुर हाट गया था, लेकिन वह लौट कर घर नहीं आया। अभियोजन कथन का समर्थन नहीं करने के कारण साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वेच्छा से गवाही देने की बात बतायी है तथा अभियुक्त को ग्रामीण होने के नाते पहचान की है। अभियोजन साक्षी संख्या मो0 साहेब, मो0

हैदर एवं मो0 कैसर मृतक मो0 जसीम का भाई है, सभी साक्षियों को घटना की जानकारी नहीं है, इनके भाई की मृत्यु कैसे हुई या किन लोगों ने उसका हत्या किया है, इस विषय में इन्हें कोई जानकारी नहीं है, अभियोजन कथन का समर्थन नहीं करने के कारण अभियोजन सूचिका सहित अन्य सभी साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन अपने वाद के समर्थन में अनुसंधानकर्ता एवं चिकिसक का साक्ष्य नहीं करा पाये है और न ही किसी दस्तावेज को साबित कर सके है।

इस तरह उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अभियोजन ने जो आरोप अभियुक्त के विरुद्ध लगाया है उसे संदेह के परे साबित करने में असफल रहे हैं, जिसके कारण अभियुक्त को संदेह का लाभ मिल गया है तथा वे निर्दोष साबित होते हैं।

<u>आदेश</u>

15. तदनुसार इस वाद के अभियुक्त मो0 इरफान को धारा **364/34, 120B, 302/34, 201/34** भा0द0वि0 के आरोप से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त करता हूँ तथा उनके सभी जमानतदारों को बंधपत्र के समस्त दायित्वों से उन्मुक्त करता हूँ।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
बाढ़

16. यह निर्णय खुले न्यायालय में उद्घोषित, संशोधित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
बाढ़